**भारत सरकार**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या**: 4352
**दिनांक** 22 **मार्च**, 2021

**पाइपलाइन कनेक्शन**

4352. **श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत**:
**श्री बृजेन्द्र सिंह**:
**श्री गोपाल जी ठाकुर**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सीएनजी/पीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का है और यदि हां, तो हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) राजस्थान के किन-किन जिलों में उक्त सुविधा आज तक उपलब्ध करायी गयी है और सीकर सहित उन जिलों के नाम क्या हैं जहां उक्त सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है तथा राजस्थान में पाइपलाइन के माध्यम से गैस उपलब्ध कराने के लिए किये गये कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) क्या सीकर और इसके समीपवर्ती जिलों में कोई सीएनजी/पीएनजी परियोजना आरंभ की गयी है या किये जाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना का कब तक विस्तार किये जाने का विचार है और क्या उक्त योजना में विलंब हो रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ड.) क्या सरकार का विचार देश में कोई नया सीएनजी/पीएनजी सुविधा केंद्र खोलने का है और यदि हां, तो हरियाणा और बिहार के दरभंगा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसका कार्यान्वयन कब तक किये जाने की संभावना है; और
(च) क्या दरभंगा में एलपीजी गैस पाइपलाइन बिछाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**
**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क): जी, हां। घरेलू परिवारों, उद्योगों तथा वाणिज्यिक इकाइयों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाना और वाहनों को परिवहन ईंधन उपलब्ध करवाने के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशनों की

स्थापना करना एक प्राधिकृत कंम्पनी द्वारा नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है जिससे देश में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सीजीडी कंम्पनियों को अनुमोदित न्यूनतम कार्य योजना (एमडब्ल्यूपी) के अनुसार अपने संबंधित जीएज में पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) उपलब्ध करवानी होती है। स्थापित किए गए/स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित सीएनजी स्टेशनों (एमडब्ल्यूपी के अनुसार) की राज्य-वार सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख): पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास के लिए कंम्पनियों को प्राधिकार प्रदान करने वाला प्राधिकरण है। पीएनजीआरबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संबद्धता के विकास के साथ-साथ प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करता है। सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु राजस्थान राज्य में निम्नलिखित जीएज को प्राधिकृत किया गया है:

| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ शासित राज्य** | **भौगोलिक क्षेत्र** |
|---|---|---|
| 1. | मध्य पदेश और राजस्थान | झाबुआ, बांसवाड़ा, रतलाम और डूंगरपुर जिले |
| 2. | राजस्थान | कोटा (भाग) जिला, भिवाड़ी (अलवर जिले में), बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले; अलवर (भिवाड़ी के अलावा) और जयपुर जिले; कोटा जिला (पहले से प्राधिकृत क्षेत्र को छोड़कर), बारां और चित्तौड़गढ़ (केवल रावतभाटा तालुका) जिले; भीलवाड़ा और बूंदी जिले; चित्तौड़गढ़ (रावतभाटा तालुका के अलावा) और उदयपुर जिले; धौलपुर जिला; अजमेर, पाली और राजसमंद जिले; जालोर और सिरोही जिले |

(ग): राजस्थान के सीकर जिले को सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए अभी तक प्राधिकृत नहीं किया गया है।

(घ): मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में अनूपपुर, बिलासपुर और कोरबा जिले जीएज को प्राधिकृत किया गया है। पीएनजीआरबी द्वारा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संबद्धता के विकास के साथ-साथ प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर छत्तीसगढ़ में जीएज की पहचान की जानी है।

(ड.): जी, हां। 27 राज्यों/संघ शासित राज्यों में फैले हुए 400 से अधिक जिलों को सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए प्राधिकृत किया गया है। हरियाणा राज्य सहित देश में प्राधिकृत सीजीडी कंम्पनी अपनी न्यूनतम कार्य योजना (एमडब्ल्यूपी) तथा तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध करवाती है। बिहार में दरभंगा जिले को अभी तक प्राधिकृत नहीं किया गया है।

(च): उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्तमान में दरभंगा, बिहार में कोई एलपीजी पाइपलाइन प्राधिकृत नहीं है।

अनुलग्नक-I

'पाइपलाइप कनेक्शन' के बारे में दिनांक 22.03.2021 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4352 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक .

देश में सीएनजी स्टेशनों की राज्य-वार सूची*

| क्र.सं. | राज्य/यूटीज (प्राधिकृत जिलों में) | सीएनजी स्टेशन | |
|---|---|---|---|
| | | मौजूदा (दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार) | न्यूनतम कार्य योजना |
| 1. | आं प्रदेश | 72 | 426 |
| 2. | आं प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक | - | 251 |
| 3. | असम | 1 | 72 |
| 4. | बिहार | 10 | 459 |
| 5. | बिहार और झारखंड | - | 37 |
| 6. | चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश) | 8 | - |
| 7. | दमन और दीव और गुजरात | - | 35 |
| 8. | दादरा और नगर हवेली | 7 | - |
| 9. | दमन और दीव | 5 | - |
| 10. | गोवा | 4 | |
| 11. | गुजरात | 731 | 140 |
| 12. | हरियाणा | 147 | 277 |
| 13. | हरियाणा और हिमाचल प्रदेश | - | 45 |
| 14. | हरियाणा और पंजाब | - | 54 |
| 15. | हिमाचल प्रदेश | 2 | 10 |
| 16. | झारखंड | 13 | 179 |
| 17. | कर्नाटक | 44 | 811 |
| 18. | केरल | 14 | 763 |
| 19. | केरल और पुदुचेरी | - | 185 |
| 20. | मध्य प्रदेश और राजस्थान | - | 54 |
| 21. | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ | - | 20 |
| 22. | मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश | - | 34 |
| 23. | मध्य प्रदेश | 78 | 309 |
| 24. | महारा ट्र और गुजरात | - | 156 |
| 25. | महारा ट्र | 423 | 225 |
| 26. | रा ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (केंद्र शासित प्रदेश) | 424 | - |
| 27. | ओ डशा | 19 | 116 |
| 28. | पुदुचेरी और तमिलनाडु | - | 27 |
| 29. | पुदुचेरी | - | 130 |
| 30. | पंजाब | 80 | 278 |
| 31. | राजस्थान | 49 | 576 |
| 32. | तमिलनाडु | 3 | 872 |
| 33. | तेलंगाना | 74 | 268 |
| 34. | त्रिपुरा | 11 | 12 |
| 35. | उत्तर प्रदेश | 384 | 785 |
| 36. | उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड | - | 91 |
| 37. | उत्तराखंड | 11 | 50 |
| 38. | पश्चिम बंगाल | 8 | 480 |

* पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत कुछ जीएज एक से अधिक राज्यों में स्थित हैं।

*****